खंड: 6, अंक: 07 जुलाई 2023 DELHIN/2021/84711

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

समान नागरिक संहिता: विचार, व्यवहार एवं सरोकार

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

ई-मेल आई डी: tuesdaytrack@gmail.com

प्रोफाइल लिंक: https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

© सीजीएस2023

संश्लेषण

समान नागरिक संहिताः विचार, व्यवहार एवं सरोकार

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. हमें समान नागरिक संहिता क्यों चाहिए? – डॉ. अभिषेक नाथ 1–6
2. समान नागरिक संहिता और जनजातीय सरोकारः व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण पर पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक–राजनीतिक अभिव्यक्ति – रमेश चौधरी 7–15
3. समान नागरिक संहिताः विधान नवीन, विचार पुरातन एवं महत्ता राष्ट्र संवर्धन – मयंक पटेल 16–22
4. समान नागरिक संहिताः विचार व्यवहार और सरोकार – प्राची 23–25
5. समान नागरिक संहिता और भारतीय मीडिया – शानु झा 26–31

सम्पादकीय

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेशण के 60वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंक शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चित्तता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) भारत की बहुलतावादी समाज में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी संरचना स्थापित करना है, जिससे व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक सार्वभौम कानूनी प्रणाली कार्यान्वित हो सके। इस संहिता का प्रस्ताव भारतीय संविधान की धारा 44 के अंतर्गत किया गया था, जो सभी नागरिकों के लिए समानता का आश्वासन देता है।

वर्तमान में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए भिन्न–भिन्न व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं, जैसे कि हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ तथा ईसाई विवाह अधिनियम। इस विविधता के कारण कानूनी असमानता व सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन भिन्नताओं को समाप्त करना है और एक समान कानूनी प्रणाली प्रदान करना है, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार व न्याय प्राप्त हो।

इस संहिता के समर्थनकर्मी इसे एकता व समानता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि एक समान कानूनी संरचना समाज में सामाजिक न्याय व समरसता को बढ़ावा देगा। दूसरी ओर, आलोचक इसे धार्मिक विविधता पर आक्रमण मानते हैं तथा इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता व सांस्कृतिक अस्मिता की स्वतंत्रता को संकट में डाल सकता है।

वास्तव में, समान नागरिक संहिता पर विचार करते समय समाज के विविध भागों की संवेदनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करना आवश्यक है। इस विषय को समाधान की दिशा में ले जाने

के लिए एक समावेशी व संवादात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे कि सभी नागरिकों के अधिकार व अस्मिता को सुनिश्चित किया जा सके।

इस विषय की महत्ता तथा विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'समान नागरिक संहिताः विचार, व्यवहार एवं सरोकार' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पाँच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदर्शित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल सोमवार, 14 अगस्त 2023

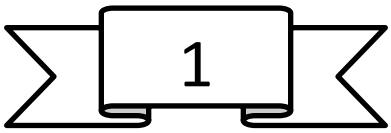

हमें समान नागरिक संहिता क्यों चाहिए?

डॉ. अभिषेक नाथ

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.टी. महाविद्यालय, सहरसा, बिहार

एकरूपता पश्चिमी य्रोपीय आधुनिक राज्यों की विशिष्टता है जिसे उन्होंने अपने विकास के क्रम में स्थायित्व की प्राप्ति के लिए कई संघर्षों व उथल–पुथल के पश्चात् प्राप्त किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन आधुनिक राज्यों के संरचना को अन्य महादेशों में स्थापना ने विभिन्न प्रकार की चुनोतीयों को जन्म दिया है जिसमें इन समाजों में यूरोप की भांति एकरूपता प्राप्ति की चाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि ये अधिकतर समाज बहुलताओं से परिपूर्ण हैं। जबकि इन राज्य की स्थायित्व के लिए कानूनों की समरूपता एक अहम पहलु है। आश्चर्य नहीं है कि भारत जैसे बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजातीय राज्यों में नागरिकों के लिए एकसमान कानून के विषय ने विभिन्न प्रकार के वाद–विवादों को जन्म दिया है। यह आलेख ऐसे ही विवाद का विश्लेषण कर भारत में ऐसे कानून की आवश्यकता की पड़ताल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे करने का प्रयास करता है और तर्क देता है कि हमें समान के स्थान पर एक व्यापक नागरिक संहिता की खोज करनी चाहिए जिसमे भिन्न रिवाजों और अभ्यासों का तार्किक सम्मेलन हो और व्यापक सहमति हो। जिसे हम सही अर्थों में भारतीय नागरिक संहिता कह सकें।

तुलानात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य–रूपः

मानव सभ्यता के राजनीतिक इतिहास में कई राज्य रूपों का उद्भव, विकास और पराभाव हुआ। रोमन साम्राज्य उन राज्य–रूपों में सबसे विस्तृत समय तक चलने वाला साम्राज्य था। जो पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक की बर्बर कही जाने वाली जनजातियो को भी समाहित किया गया था और उन सबको एक छत्रछाया में लाकर लम्बे समय तक शासन व्यवस्था कायम रहा। क्या इसका तात्पर्य यह है कि रोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और इसने अपने उत्पीड़न और सैनिक बल के भरोसे यह एकता और साम्राज्य कायम रखा ?

इसका उत्तर नकारात्मक है। रोमन साम्राज्य की एकता और स्थायित्व के पीछे सबसे बड़ा योगदान ईसाई धर्म का था जिसने विविधतापूर्ण जनसँख्या को एक सूत्र में बांध कर रखा (एंडरसन, 1974)।

रोमन साम्राज्य के टूटने के पीछे एक बड़ा कारण इस्लाम का एक प्रतिस्पर्धी धर्म के रूप में उदय और आगे चलकर निकोलो मेकियावेली जैसे विचारकों के द्वारा धर्म को राजनीति से पर्यटक करने का पुरजोर समर्थन था जिसने रोमन साम्राज्य को जोड़े रखने वाले तत्व को अलग कर दिया और शीघ्र ही रोमन साम्राज्य बिखर गया। रोमन साम्राज्य के बिखराव ने विभाजित संप्रभुता से युक्त छोटे छोटे सामंती राज्य रूप को जन्म दिया। आपसी प्रतिस्पर्धा व एकता की असम्भावना के कारण सुगठित राज्य व्यवस्था नहीं पनप सकी (एंडरसन, 1980)। धर्म और राज्य के मध्य प्रतिस्पर्धा में राज्य का समर्थन कर मेकियावेली, हॉब्स जैसे विचारकों ने धर्म द्वारा स्थापित एकता को तोड़ दिया।

आगे चलकर हॉब्स ने एक निरंकुश शासक की आवश्यकता और धर्म का हाशियेकरण द्वारा लौकिक राज्यों की स्थापना पर बल दिया। इन निरंकुश शासकों ने आधुनिक राज्यों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया जब कि समूचे यूरोप में आपसी संघर्षों के मध्य इन्होनें अधिक से अधिक समरूपता स्थापित कर स्थायी राज्य व्यवस्थाओं को जन्म दिया। जिसकी परिणति वेस्टफालिया की संधि 1648 के द्वारा हुई और वर्तमान राज्य व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, जिसे हम आधुनिक राज्य के नाम से भी जानते है।

चार्ल्स टिली (1975) ने लिखा है कि जनसंख्या की अधिक से अधिक समरूपता शासन को सरल बनाती है जबकि जनसँख्या की विविधता शासन के लिए परेशानियाँ उत्पन्न करती है क्योंकि उनके लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के कानूनों की मांग की जाती है जिससे शासन करना कठिन होता है और जनसँख्या पर राज्य की पकड़ भी कमजोर होती है।

आश्चर्य नहीं है कि निरंकुश शासकों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाकर राज्य की जनसँख्या में समरूपता लाने का प्रयास किया। चाहे उसका आधार धार्मिक हो, भाषाई, नृजातीय या सांस्कृतिक। जिसे हम राष्ट्र–राज्य के रूप में भी जानते है।

अब यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक राज्य अपने स्थायित्व के लिए तथा शासन के प्रति विरोधों को समाप्त करने के लिए समरूपता की खोज में लगे रहते हैं। किंतु यह बात भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक राज्य व्यवस्थाएं विशुद्ध रूप से पश्चिमी यूरोप में पनपी और उसके पश्चात इन्हें

औपनिवेशिक शक्तियों ने पृथ्वी के अन्य भागों पर थोपा और कुछ ने इसकी स्वेच्छा से नकल की क्योंकि यह जनसँख्या को जकड़ कर रखने में सहायक था (टिली, 1985)। यद्यपि पश्चिमी राज्यों ने अपनी विविधता की समस्या को युद्धों, उत्पीड़न और अनचाही जनसँख्या को बाहर निकाल कर सुलझा लिया, किन्तु उत्तर–औपनिवेशिक राज्यों के लिए यह सुविधा इतनी सरलता से प्राप्त नहीं थी क्योंकि एशिया व अफ्रीका के जनसमुदाय विविधता से भरे हुए थे। आश्चर्य नहीं है कि अपनी स्वतंत्रता के 50 से 75 वर्षों के पश्चात भी ये आधुनिक राज्य के ढाचें को स्थापित नहीं कर पाए हैं और यही कारण है कि कई विद्वान इन्हें कमजोर राज्य, असफल राज्य और नरम राज्य कहते है (मिगडल, 1988ः हटिंगटन, 1973;)।

अर्थात हम यह समझ लें कि उत्तर–औपनिवेशिक राज्यों की अपनी जनसँख्या में समरूपता स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ?

बहुलतापूर्ण राज्यों में समरूपताः

वस्तुतः ये राज्य विविधताओं के साथ एकता को प्रदर्शित करते थे। अविभाजित भारत इसका एक अच्छा उदाहरण रहा है। किन्तु औपनिवेशिक शासकों ने इन समाजों में अपनी शासन व्यवस्था को स्थायी बनाने और संयुक्त विरोधों को रोकने के लिए इनकी समाजिक विविधताओं को सामाजिक विरोधाभाषों में बदला और समुदायों को पहले प्रतिद्वंदी और फिर शत्रु में परिवर्तित किया। भारत में जितने सामुदायिक तनाव अंग्रेजी शासन काल में हुए उतने मुस्लिम शासन काल में भी नहीं हुए थे। क्योंकि भले ही भारत में धर्मान्तरण हुआ लेकिन सामाजिक रश्म–रिवाज, खान–पान और रहन–सहन में एकरूपता सदैव से ही बनी रही थी। सभी समुदाय एक ही तरह की कानूनी व्यवस्थाओं से शासित हो रहे थे। आज भी भारत में जमीन की खरीद–बिक्री से लेकर कई प्रशासनिक कार्यों में पूर्व से चली आ रही एकरूपता दिखाई देती है। यहाँ तक कि विवाह, उतराधिकार, वसीयतनामे, दत्तक ग्रहण आदि नागरिक (सिविल) मामलों में एक ही तरह की व्यवस्थाएं विभिन्न धार्मिक समुदायों में प्रचलित रही है। स्मरणीय है कि 1937 से पूर्व भारत में मुस्लिमों के लिए किसी तरह का कोई शरियत कानून (इस्लामिक निजी कानून) नहीं था। इसका प्रावधान कुछ अभिजात्य वर्ग (जैसे कि मुस्लिम लीग), जो अपनी विरासत को स्थायी करना चाहते थे और भारत में समुदायों के बीच असमानताओं को उभारना चाहते थ, उन्होने ब्रिटिश सत्ता के साथ मिलकर इसका अविष्कार किया क्योंकि दोनों के क्षुद्र हितों की पूर्ति हो रही थी। और अगले 10 वर्षों में ही इसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। जबकि शरीयत कानून

के उतराधिकार, दत्तक ग्रहण, आदि के नियम हिन्दू कानूनों से लिए गए क्योंकि इस्लामिक कानून में सम्पति के निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया गया है और नही अपनी वसीयत लिखने का प्रावधान है। लगभग सम्पूर्ण भारत में मुस्लिमों द्वारा किसी न किसी रूप में हिन्दू निजी कानूनों का ही पालन किया जाता रहा। इसी प्रकार अन्य धार्मिक समुदायों के निजी कानून बड़े पैमाने पर हिन्दू कानूनों को धारण करते है (गुरुमूर्ति, द इंडियन एक्सप्रेस, 6 और 7 जुलाई, 2023)। अतः विशुद्ध रूप से निजी कानूनों का भारत में अस्तित्व नहीं रहा है। और धार्मिक रिवाजों का अनुसरण और नागरिक कानून दो भिन्न–भिन्न पहलु हैं और नागरिक कानूनों को धार्मिक मान्यताओं के लिए त्याग नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान और समान नागरिक संहिताः

यदि उपरोक्त विचार इस प्रकार स्पष्ट था तब संविधानिक सभा ने समान अपराधिक कानूनों की भांति समान नागरिक संहिता क्यों नही अपनाया और इसे आगे आने वाली सरकारों के लिए निदेशक नीति तत्वों के रूप में क्यों छोड़ दिया?

ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधानवाद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अन्य देशों की संविधानिक सभाओं के तरीकों के विपरीत भारतीय संविधान निर्माताओं ने जटिल मुद्दों पर पूर्ण सहमति और कम महत्वपूर्ण प्रावधानों पर संख्या बल और वोटिंग की प्रक्रिया द्वारा अपना लिया (ऑस्टिन, 1966)। चाहे राजकीय भाषा का विषय हो या समान नागरिक संहिता का, इन पर व्यापक सहमति प्राप्त करने का प्रयास संविधान सभा का था जिसे अप्राप्त रहने के कारण इसे आने वाली पीढ़ियों के विवेक और प्रयास के लिए नीति निदेशक तत्वों के रूप में रख दिया गया। जब संविधान सभा मे विवाद के दौरान मुस्लिम नेताओं ने शरीयत कानून की विचार–विमर्श किया तब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में और विभिन्न उदाहरणों के साथ जिस तथ्य को स्थापित किया वह इस लेख में पहले कहा गया है। किन्तु समान नागरिक संहिता के पक्ष में व्यापक सहमति के आभाव मं आजादी के 75 वर्षों के पश्चात् तक विभिन्न निजी कानून ही प्रचलित है। जिसमें विशेषकर शरीयत कानून एक महिला अधिकारों का विरोधी कानून बना हुआ है क्योंकि उसके बाद हिन्दू निजी कानूनों में तो आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन हुआ किन्तु अन्य कानून धर्म के अनुसरण की मौलिक स्वतंत्रता की ओट में छिपे रहे। जिसका स्पष्ट उदाहरण 'शाहबानो वाद (1985)' है। जिसमे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शरीयत कानून, 1937 के बजाए व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों को तरजीह देते हुए एक मुस्लिम महिला को तलाक के पश्चात पति को इद्दत कल के बाद भी तब

तक गुजरा भत्ता देने को कहा जब तक वह दूसरी शादी नहीं करती। यद्यपि इस निर्णय को तत्कालीन भारत सरकार ने मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ओंन डाइवोर्स, 1986) बनाकर स्थगित कर दिया।

इस तथ्य को अस्वीकृत करना कठिन है कि एक सभ्य समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान विवाह, तलाक, उतराधिकार और दत्तक ग्रहण का अधिकार क्यों नहीं दिया जाए। यह किसी भी अर्थ में धार्मिक मौलिक अधिकार का हनन नहीं यदि ऐसा होता तो हिन्दू निजी कानूनों में सुधारात्मक परिवर्तनों को भी सर्वोच्च न्यायलय गलत ठहराती। जबकि ऐसा नहीं हुआ और हिन्दू कोड बिल लागु हुआ।

अब प्रश्न यह है कि क्या समान नागरिक संहिता भारत में विविधताओं के साथ समरूपता स्थापित करने में सफल होगा? हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि आज भी लैंगिक रूप से निष्पक्ष कानूनों के आभाव में भारत में पुरुषवादी सोच हावी है जिसका परिणाम पुरुषों के प्रति पक्षपात और महिलाओं के निजी और सार्वजानिक क्षेत्र में हाशियेकरण के रूप में सामने आता है (मेनन, 1998)। महिलाओं में अशिक्षा, महिला भ्रुण हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या, असमान रोजगार आदि इसी का परिणाम है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनसँख्या केवल धार्मिक समुदाओं को ही धारण नहीं करती अपितु यहाँ कई ऐसी जनजातियाँ भी निवास करती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान और रीती–रिवाज हैं और उनमे परिवर्तन बिना उनकी सहमति के करना औपनिवेशिक सोच वाला कार्य ही होगा। किंतु कई ऐसी जनजातीय प्रथाएं वर्तमान आधुनिक कानूनों से ज्यादा लैंगिक समानता प्रदर्शित करती हैं, जिनसे कुछ ग्रहण कर समान नागरित संहिता को एक 'व्यापक नागरिक संहिता' बनाया जा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मणिपुर के मैतेई समुदाय है जिनमे विवाह के बाद सबसे छोटी लड़की अपने पति के साथ पिता के घर में ही रहती है जिससे पुत्र विहीन बुजुर्ग माता–पिता की देखभाल और उतराधिकार की समस्या भी सुलझती है और कन्या भ्रुण हत्या जैसे अपराध और पुरुषों के प्रति पक्षपात समाज में नहीं दिखता।

स्वतंत्रता के 75 बर्षों के पश्चात् आज नागरिकों में न केवल भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा है अपितु वे अपने अधिकारों के प्रति भी अधिक सजग है और यह आशा की जा सकती है कि ऐसे मुद्दों को समझ कर अपने विचार कायम कर सकते है। अतः संविधान सभा ने जिन मुद्दों को आने वाली पीढ़ियों की समझ के लिए छोड़ रखा था उन पर विचार विमर्श निशिचत ही वांछनीय है। साथ ही

यह न्यायिक व्यवस्था के लिए भी अधिक व्यवहारिक होगा जिससे वादों की विविधता और बढती संख्या पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है।

यह समझना भी महत्त्वपूर्ण है कि 'समान' शब्द एक बहुल समाज में बहुत उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह पहचानों को खोने को इंगित करता है जो की वांछनीय प्रतीत नहीं होता है। अपितु एक भारतीय नागरिक संहिता की बात की जानी चाहिए जो नागरिकों को एक उत्तम पहचान दिलाता प्रतीत होता है।

अतः हमें समान के स्थान पर एक व्यापक नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक समझ, सहमति और हमारे संविधानिक मूल्यों पर भी खड़ा उतरे और जिसे हम निश्चित तौर पर भारतीय नागरिक संहिता कह सकें।

♦♦♦♦♦

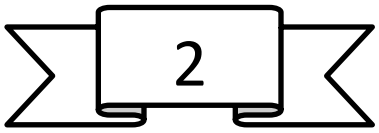

समान नागरिक संहिता और जनजातीय सरोकारः व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण पर पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक–राजनीतिक अभिव्यक्ति

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा कि भारत को एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है क्योंकि देश अलग–अलग समुदायों के लिए अलग–अलग कानूनों की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता है। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, अलग–अलग सदस्यों के लिए अलग–अलग कानूनों के साथ परिवार चलाना कैसे संभव हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग–अलग समुदायों के लिए दोहरी कानूनी प्रणाली को बनाए रखने की अव्यवहारिकता का हवाला देते हुए भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर जोर दिया। इसके अलावा, 22वें भारतीय विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों से दृष्टिकोण व सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से 14 जून को एक नई अधिसूचना जारी की।

समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून है, जो सभी समुदायों के नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में, समान नागरिक संहिता नियमों और विनियमों का एक समूह है, जो देश के प्रत्येक प्रमुख समुदायों के धार्मिक ग्रंथों और रीति–रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक नागरिक को शासित करने वाले समान कानूनों के साथ परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में समान नागरिक संहिता विवाद का मुद्दा रहा है। इसकी गंभीर प्रकृति, मौजूदा परिस्थितियों और धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और संविधान निर्माण करते समय सांप्रदायिक तनाव पैदा करने से बचने की आवश्यकता की समझ को देखते हुए, समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला सरकार के विवेक पर छोड़ा गया। समान

नागरिक संहिता का विचार भारतीय संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद 44 में कहा गया हैः राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता से संबंधित ये सिद्धांत और प्रावधान कानूनी व न्यायिक रूप से बाध्य नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य राज्य को नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करना है।

व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण के ढांचे के समर्थकों का मानना है कि लैंगिक समानता, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय स्थापित करने में समान नागरिक संहिता आवश्यक है, जबकि विरोधियों का मानना है कि यह भारत जैसे अत्यधिक विविध धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय वाले राष्ट्र की समृद्ध विविधता और बहुलता को कमजोर कर देगा। संक्षेप में, कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में समर्थन दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए खतरे के रूप में विरोध किया है।

भारतीय राजनीतिक विमर्श में समान नागरिक संहिता आम तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों से संबंधित है, लेकिन वास्तव में भारतीय समाज में समान नागरिक संहिता का दायरा व्यापक है, विभिन्न जनजातीय समुदाय भी समान नागरिक संहिता के बहुत महत्वपूर्ण हितधारक हैं। लेकिन व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण के मामले पर जनजातीय समुदायों के सामाजिक–राजनीतिक रुख, चिंताओं और मुद्दों पर आमतौर पर राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में मुख्यधारा के विषय के रुप में ध्यान नहीं दिया जाता है।

समान नागरिक संहिता पर जनजातीय सरोकार

देश में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के प्रस्ताव ने पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के मध्य चिंता बढ़ा दी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य जगहों पर कई जनजातीय निकायों के नेता विरोध में बयान जारी कर रहे हैं। उनका डर यह है कि समान नागरिक संहिता उनके पारंपरिक कानूनों, सामाजिक–सांस्कृतिक लोकाचार और प्रथाओं का उल्लंघन करेगी जो संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं।

भारत में जनजातीय समुदाय, जो अपनी समृद्ध विविधता, सांस्कृतिक परंपराओं और अद्वितीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने व्यक्तिगत मामलों में भी अपने जनजातीय सांस्कृतिक नियमों, परंपराओं और रीति रिवाज का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इस संदर्भ में, भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के संभावित परिणामों के बारे में जनजातीय और स्वदेशी समुदायों

के किए चिंताएं पैदा होती हैं। जनजातीय समुदायों की मुख्य चिंता यह है कि समान नागरिक संहिता उनके संवैधानिक रूप से संरक्षित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को प्रभावित करेगी। समान नागरिक संहिता पर जनजातीय समुदायों की प्रमुख चिंता, उनकी बढ़ती यह आशंका है कि उन्हें व्यापक नागरिकता में शामिल किया जा सकता है, जिससे बहुसंख्यक धर्म की प्रमुख प्रथाओं के तहत उनकी धार्मिक बहुलता और सांस्कृतिक सार के क्षरण का जोखिम हैं। परिणामस्वरूप, देश के भीतर उनकी विशिष्ट अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत के नष्ट होने का भय प्रमुख रूप से राजनीतिक विमर्श में सामने आया हैं।

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा ने कहा, "हम (मेघालय) एक मातृसत्तात्मक समाज हैं। यही हमारी ताकत रही है और यही हमारी संस्कृति रही है। अब इसे बदला नहीं जा सकता है"। अर्थात् जनजातीय समुदाय भी कुछ विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संरचना रखते हैं, जिसमें बदलाव का भय व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण के संदर्भ में उनकी प्राथमिक चिंता और सरोकार है। ये समुदाय लंबे समय तक हाशिए पर रहे और इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी अभाव रहा हैं। समान नागरिक संहिता के अचानक लागू होने से जनजातीय समुदायों के भीतर भ्रम और सामाजिक उथल–पुथल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जनजातीय प्रथागत कानून उनके जीवन के तौर–तरीके में गहराई से शामिल हैं और एक समान नागरिक संहिता में अचानक बदलाव से प्रतिरोध और अशांति पैदा हो सकती है।

2016 में, जब भारतीय कानून आयोग ने व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण पर लोगों और विभिन्न हितधारकों की राय मांगी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, एक समूह जो भारत भर में 11 स्वदेशी और आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें आदिवासियों के प्रथागत कानून, सांस्कृतिक पहचान और अधिकारो की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई। उनके मुताबिक समान नागरिक संहिता जैसे कदम से देशभर की 6743 जातियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसमें नागा जनजाति, बैगा, लुशाइ और गोंड जनजातियों के बीच मौजूदा बहुविवाह व बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख था। इसके अलावा, उनकी याचिका में कहा गया है, कश्मीर से असम तक हिमालय बेल्ट में फैले तियान, टोडा, लद्दाखी बोटा, रोटा और खासा जैसे कई समुदायों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। वर्तमान में, आदिवासियों को बहुपत्नी और बहुपति प्रथा का अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से ही प्राप्त है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2(2) अनुसूचित जनजातियों को एक समय में एक वैध विवाह के दायरे से बाहर रखती है।

कई आदिवासी समूहों ने समान नागरिक संहिता के तहत विवाह और तलाक की प्रक्रियाओं पर आपत्ति जताई है। आदिवासी समूहों के अनुसार उनकी प्रथाओं ने तलाक और विवाह समारोहों को बहुत सरल बना दिया है और उन्हें जटिल कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है जो उनके लिए बहुत बोझिल और दुर्गम हैं। आदिवासी समूह विवाह की कानूनी उम्र में बदलाव को लेकर भी काफी चिंतित हैं. उन्हें भय है कि विवाह की न्यूनतम आयु मानदंड उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं का उल्लंघन करेंगे। जनजातियों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में बहस का प्रमुख मद्दा विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे भी हैं। विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टों से ज्ञात हुआ है कि असम, झारखंड और उड़ीसा में जनजातियाँ उत्तराधिकार के प्राचीन पारंपरिक कानूनों का पालन करती हैं। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्य चिंतित हैं कि समान नागरिक संहिता संविधान की छठी अनुसूची के तहत विरासत और उत्तराधिकार की गारंटी के संबंध में सुरक्षा उपायों के साथ गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

हाल ही में प्रसिद्ध आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू, केरल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक जनाधिपति राष्ट्रीय पार्टी (JRP) की नेता, केंद्र द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के विरोध में आई। उन्होंने समान नागरिक संहिता को 'आदिवासी विरोधी' करार दिया, जो जनजातीय समुदायों की सामाजिक–सांस्कृतिक लोकाचार, परंपरा और जातीय पहचान को नष्ट कर देगा।

संक्षेप में, समान नागरिक संहिता के संबंध में आदिवासियों की इन चिंताओं से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरकार को जनजातीय समुदायों, जनजातीय नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ खुले और समावेशी विमर्श और परामर्श में भी शामिल होना चाहिए ताकि उनकी समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं, आकांक्षाओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को समझा जा सके। उनके दृष्टिकोण को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनका बेहतर प्रतिनिधित्व किया जा सके।

समान नागरिक संहिता पर पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक–राजनीतिक अभिव्यक्ति

जब अभी हाल ही में 22वं भारतीय विधि आयोग ने व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण के बारे में भारतीय नागरिकों और विभिन्न हितधारकों से राय मांगी, इस मुद्दे ने कई पूर्वोत्तर राज्यों में समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण बहस भी छेड़ दी। देश में समान नागरिक संहिता के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई जनजातीय बहुल राज्यों में जनजातीय अस्मिता और प्रथाओं के संरक्षण के प्रति आशंका पैदा कर दी है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न

नागरिक समाज संगठनों के अलावा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) और उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन (NEDA) में भाजपा के राजनीतिक सहयोगी जो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता और राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन में सबसे अग्रणी हैं।

इन तीन पूर्वोत्तर राज्यों में, जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ बहुसंख्यक हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में जनजातीय जनसंख्या क्रमशः 94.4%, 86.5% और 86.1% है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में जनसांख्यिकी रूप से ईसाइयों और अन्य स्थानीय धार्मिक विश्वासियों का वर्चस्व है। इन राज्यों की जनसांख्यिकीय प्रकृति व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण पर नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक दलों की सामाजिक राजनीतिक अभिव्यक्ति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

एक समान नागरिक संहिता, इसके आलोचकों का कहना है कि यह उन विशेष विशेषाधिकारों को कमजोर कर देगा जो भारतीय संविधान पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी समुदायों को देता है। ये विशेष अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची में निहित हैं। ये विशेष प्रावधान आदिवासी समुदायों को उनके प्रथागत कानूनों के तहत कार्य करने के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की अनुमति देते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में समान नागरिक संहिता के विरोध ने अनुच्छेद 371 की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है, नागालैंड के संबध में संविधान का अनुच्छेद 371ए, मिजोरम के संबंध में अनुच्छेद 371जी और मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के संबंध में संविधान की छठी अनुसूची के तहत धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ, प्रथागत कानून और प्रक्रियाएँ, भूमि या संसाधन का स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित मामलों में स्वायत्ता का प्रावधान देता है।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के नेतृत्व में मिजोरम देश का पहला राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। 14 फरवरी को, मिजोरम राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से "भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित किसी भी कदम का विरोध करने के लिए" एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने भारतीय विधि आयोग को लिखे अपने पत्र में लिखा, "उक्त प्रस्ताव को पेश किया गया, चर्चा की गई और उसके बाद सर्वसम्मति से मिजोरम राज्य विधान सभा द्वारा इस

कारण से अपनाया गया कि यदि समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो देश विघटित हो जाएगा क्योंकि यह मिजो सहित धार्मिक और जनजातीय अल्पसंख्यकों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपरा को समाप्त करने का एक प्रयास है।" मिजो नेशनल फ्रंट के अनुसार, समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन सामान्य रूप से भारत के जनजातीय अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मिजो के हित में नहीं है।

मिजोरम चर्च लीडर्स कमेटी (मिजोरम कोहरान ह्नुएटुटे कमेटी (MKHC) ने कहा कि समान नागरिक संहिता द्वारा, "इसमें कोई संशय नहीं कि अनुच्छेद 371जी में निहित जनजातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को कम किया जा रहा है और यह हमारी भूमि में अल्पसंख्यकों और धार्मिक निकायों के उत्पीड़न और एकीकरण का एक साधन हो सकता है।'' MKHC के प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह महसूस होता है कि समान नागरिक संहिता भारतीय संस्कृति, धार्मिक और रीति–रिवाजां की विविधता में एकता के लिए हानिकारक है, जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़े आदरभाव से धारण किया और संजोया है।

नागालैंड में, जहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371ए राज्य की प्रथागत प्रथाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को नागालैंड में तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा है। सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP), जो राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का एक प्रमुख घटक है जिसमें भाजपा भी शामिल है, व्यक्तिगत कानून की एकरूपता पर अपनी–राय व्यक्त की कि "समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से भारत के अल्पसंख्यक समुदायों और आदिवासी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल परिणाम होंगे"।

नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के अनुसार, समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों विशेषकर आदिवासी समुदायों की आशा और विश्वास को धोखा दे रही है, जिनके लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 371ए या छठी अनुसूची हमारे रीति–रिवाजों, मूल्यों और प्रथाओं की रक्षा और प्रचार करने के लिए प्रदान किए गए हैं, जिन्होंने हमें पहचान, मूल्य, अपनापन और उद्देश्य दिया है। नागा पीपुल्स फ्रंट के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने से नागालैंड के शांतिपूर्ण वातावरण और स्थिति को खतरा होने की गंभीर संभावना है।

नागाओं के शीर्ष सामाजिक–सांस्कृतिक निकाय नागा होहो (NAGA HOHO) ने कहा कि देश में विविधता में एकता के सिद्धांतों के रूप में नागाओं के संवैधानिक प्रावधानों, अद्वितीय इतिहास, स्थानीय संस्कृति और पहचान को कमजोर करने का कोई भी प्रयास अनुचित होगा। होहो के महासचिव के इलू नदांग ने समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव की आलोचना की, उन्होंने कहा कि तथाकथित बहुसंख्यक या हिंदू कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होने के कारण स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। एक अन्य नागा नागरिक समाज संगठन (नेशनल ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक राइट्स एडवोकेसी – डायरेक्ट एक्शन आर्गेनाइजेशन) ने विरोध के चरम तरीके के रूप में समान नागरिक संहिता पारित होने पर नागालैंड के सभी 60 विधायकों के घर को जलाने की खुली धमकी दी है।

मिजोरम और नागालैंड की तरह, मेघालय के लोगों और राजनीतिक हितधारकों ने भी समान नागरिक संहिता का कड़ा विरोध किया है। मेघालय में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत सभी तीन स्वायत्त जिला परिषद, खासी हिल स्वायत्त जिला परिषद, जैन्तिया हिल्स जिला स्वायत्त परिषद और गारो हिल स्वायत्त परिषद संयुक्त बैठक में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। स्वायत्त परिषदों ने समान नागरिक संहिता के दायरे से छठी अनुसूची क्षेत्र को बाहर करने की भी मांग की। इसके अलावा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉर्नाड संगमा, जो राष्ट्रीय लाकतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार का हिस्सा हैं, ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विचार भारत की विविधता के सार के खिलाफ है।

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP), कॉर्नाड संगमा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन का एक घटक है जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है, भारतीय विधि आयोग को लिखा कि "सच्चाई यह है कि हमारा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के दायरे में आता है और मूल आदिवासियों के अधिकारों पर कोई भी उल्लंघन छठी अनुसूची के संरक्षण के इरादे को विफल कर देगा। उन्होंने भी समान नागरिक संहिता का मुखर रूप से विरोध किया। मेघालय के लोगों को चिंता है कि अगर संसद विवाह, तलाक, गोद लेने आदि के संबंध में एक समान कानून बनाना आरंभ कर देगी, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उन रीति–रिवाजों और परंपराओं पर पड़ेगा जिनका पालन पहाड़ी जनजाति समुदाय सदियों से करते आ रहे हैं।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक जटिल मुद्दा है जिस पर धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में व्यक्तिगत कानूनों के एकरूपीकरण को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ते विरोध के मध्य केंद्र सरकार इस मामले पर अपने कदम पीछे खींचती नजर आ रही है। हाल ही में, इस

मामले पर चर्चा के लिए कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक के दौरान, भाजपा सांसद और कानून एवं न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों में जनजातीय जनसंख्या को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

- Ahmed, Z. (2023). *Uniform Civil Code: India tribes fear for identity over proposed law.* BBC
- Borkataki, D. (2023). *How Uniform Civil Code impacts customary laws in Northeast India.* EastMojo
- Deuskar, N. (2023). *Why some North Eastern states opposing the Uniform Civil Code.* Scroll
- Ghosh, P. S. (2018). *The Politics of Personal laws in south Asia: Identity Nationalism and the Uniform Civil Code.* Routledge
- Hussain, A. (2023). *How will UCC affect Northeast? 220 ethnic tribes fear potential impact.* India Today
- Monika. (2023). *Indigenous and tribal groups worry about loss of religious ethos over Uniform Civil Code*. Down To Earth
- Mustafa, F & Sangal, A. (2023). *Strike a Fine balance, have a just civil code.* The Hindu
- Rajappan, S. (2023). *Why Uniform Civil Code is facing resistance among tribals in Chhattisgarh.* India Today
- Ratnaparkhi. M.S. (2018). *Uniform Civil Code – An Ignored Constitutional Imperative.* Atlantic
- Shukla, P.K. (2023). *Is Uniform Civil Code 'unnecessary and undesirable' or 'justice for all Communities'.* The Indian Express
- Sinha, S. (2023). *Sushil Modi advocate keeping tribals, NE states & tribals out of Uniform Civil Code.* The Hindu Business Line
- Talukdar, S. (2023). *Uniform Civil Code: Tribal communities fear erosion of customary laws, cultural heritage.* Frontline
- The Hindu Bureau. (2023). *BJP Allies in Northeast oppose Uniform Civil Code.* The Hindu

♦♦♦♦♦

3

समान नागरिक संहिताः विधान नवीन, विचार पुरातन एवं महत्ता राष्ट्र संवर्धन

मयंक पटेल

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रस्तुत लेख भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की अवधारणा पर विभिन्न तर्क और विमर्श का अध्ययन करता है। यूसीसी संबंधित विषय स्वतंत्रता के पश्चात् से ही विचारणीय रहे हैं। यह लेख समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, आदि विषय संबंधित प्रमुख वाद–विवादों का मूल्यांकन, कानून निर्माण एवं लागू करने संबंधी सुझावों पर आधारित है, साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त भ्रांतियों को उजागर कर वास्तविकता से परिचय कराने का प्रयास किया है। समान नागरिक संहिता समाज में विभिन्न धर्मों के नागरिकों के मध्य लंगिक, सामाजिक, न्यायिक समानता स्थापित करने का एक साधन है, इस बात को समर्थित करने का प्रयास किया है। समान नागरिक संहिता पर भारत में विभिन्न वर्षों से विवाद चल रहा है और अधिक समय से कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा इसे कार्यान्वित करने की मांग की जाती रही है। समान नागरिक संहिता सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण–पोषण, उत्तराधिकार व दत्तक ग्रहण आदि में समान रूप से लागू होता है। भिन्न–भिन्न पंथों के लिये अलग–अलग सिविल कानून न होकर एक समान कानून श्समान नागरिक संहिताश की मूल भावना है। यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के (नीति–निर्देशक तत्व) भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है कि "समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा"। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केन्द्र सरकार से ठोस कानून बनाए जाने की बात कही है। विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिये। यूसीसी भारत में एक एक ज्वलंत विषय है, जिसके समर्थकों का तर्क है कि यह समानता एवं पंथनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा, जबकि इसके विरोधियों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। भारत में यूसीसी पर निरंतर विवाद देश में विधि, धर्म और संस्कृति के मध्य के जटिल एवं संवेदनशील

संबंधों को उजागर करती है, जिसकी तार्किक दृष्टिकोण से समीक्षा की जानी चाहिये तथा कैसे देश में समान नागरिक कानून लागू हो इस पर विमर्श होना चाहिए।

भारत में समान नागरिक संहिता की दिशा में हुए प्रयासः

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954: किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति–रिवाजों से बाहर विवाह करने की अनुमति देता है।

2. शाह बानो केस,1985: इस मामले में शाह बानो द्वारा भरण–पोषण के दावे को व्यक्तिगत कानून के तहत खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी'दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 125), जो पत्नियों, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषण के संबंध में सभी नागरिकों पर लागू होता है, के तहत शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अनुशंसा भी की थी कि लंबे समय से लंबित समान नागरिक संहिता को अतिशीघ्र अधिनियमित किया जाना चाहिये।

3. सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल निर्णय, 1995 और पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा केस, 2019 में भी सरकार से यूसीसी लागू करने का आह्वान किया।

4. सर्वोच्च न्यायालय ने सूचित किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25–28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धार्मिक आधार पर नागरिकों के अधिकारों का हनन कर लिया जाए।

5. विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म व संस्थान का कर्तव्य होना चाहिये। जून के मध्य में 22वें विधि आयोग ने लोगों से यूसीसी पर एक महीने के अंदर राय मांगी है।

6. देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है, इसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरन रिजिजू को सौंपी गई है।

7. मोदी जी के वक्तव्य के पश्चात् अभी हाल ही में 10 जुलाई को मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल–ईशा भारत में आए जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी की। उन्होंने सऊदी अरब में अपने नेतृत्व में कई सुधारों (पारिवारिक मामले, मानवीय मामलों और महिलाओं के अधिकार) को लागू

करवाया था। उन्होंने भारत के संविधान की तारीफ की और कहा भारतीय मुसलमानों को इस पर गर्व है और सरकार के प्रगतिशील कानूनों में मुस्लिम समुदाय साथ आएगा। संभवतः यह उनकी भारतीय मुस्लिम समुदाय से यूसीसी कानून समर्थन करने का संकेत हो सकता है।

विशेषज्ञों से बात–(ये समाज के प्रतिनिधियों के अपने विचार हैं)

• यूसीसी लॉ जब भी विचार–विमर्श किया जाता है तो वह विवाद में परिवर्तित हो जाता है, तथा वह सदैव हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर होती है। इस पर रोहित कुमार कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश में इन्हीं दोनों समुदायों की संख्या बहुमत में है।

• एक मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि यूसीसी अकबर का दीन–ए इलाही हो सकता है, जिसमें विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का समन्वय था। जो यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय को सहमत कर सकते हैं। एक देश, एक कानून के आने के पश्चात् न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा जिससे भारत के नागरिकों को समान न्याय मिल सकेगा।

• सर्वोच्च न्यायालय की वकील शाहरुख आलम भी ये मानती हैं कि 'हिंदू पर्सनल लॉ में अत्यधिक सुधार हुए हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कभी नहीं हुए। अर्थात वर्ष 2005 के पश्चात से हिंदू कानून के अंतर्गत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला है। इसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं को भी सामान अधिकार मिलने चाहिए।

• आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव ?– आदिवासी संगठनों का मानना है कि यूसीसी के कारण आदिवासियों की अस्मिता संकट में पड़ जाएगी। जनजाति समुदाय को संविधान की छठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए।

समान नागरिक संहिता के लाभः

1. विभिन्न भेदभावों को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।
2. कानूनों में सरलता व स्पष्टता
3. एकरूपता व निरंतरता
4. सभी को समान अधिकार एवं सुरक्षा
5. आधुनिकीकरण और सुधारः समान

6. उन्नत राष्ट्र निर्माण में सहायक।

7. सामाजिक एकता एवं समरसता

समान नागरिक संहिता लागू करने की चुनौतियां–

1. धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता में विकृति
2. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकाररू भारतीय संविधान में अनुच्छेद (25–28) में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ का तर्क है कि समान नागरिक संहिता इस अधिकार का उल्लंघन करेगी, क्योंकि लोगों को ऐसे कानूनों का पालन करने की आवश्यकता होगी जो उनके धार्मिक प्रथाओं एवं परम्पराओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
3. आम सहमति का अभाव
4. व्यावहारिक चुनौतियाँ
5. राजनीतिक लाभ का उपयोग
6. ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों का संरक्षण

चरणबद्ध रूप से कानून निर्माण की प्रक्रियाः

1. विधिक एवं धार्मिक विशेषज्ञों के सहयोग से यूसीसी का मसौदा तैयार किया जाए।
2. सार्वजनिक रूप से विभिन्न सुझाव लिए जाएं।
3. आवश्यक परिवर्तन के साथ सुझावों को सम्मिलित कर प्रकाशित करना ।
4. कानून विशेषज्ञों से सुझाव लेना ताकि फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके ।
5. अंतिम सुझाव के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर यूसीसी बिल को संसद में प्रस्तुत करना।
6. संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत माननीया राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार यूसीसी एक्ट, कानून का लागू होना।

नोटः कानून विशेषज्ञों में महिलाओं एवं पुरुषो का समानुपात हो। क्योंकि जब भी धर्म को प्राथमिकता दी जाती है तो महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, क्योंकि धार्मिक कानूनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी पुरुष ही कर लेते हैं

समान नागरिक संहिता सम्बंधित भ्रांतियां एवं प्रश्नः

कई लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हिंदू सिविल कोड लागू हो जाएगा परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि यह कानून सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। यूसीसी हर धर्म के लोगों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की बात करता है। यह भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करके नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित कर लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा। यू सी सी में बदलाव को लेकर कई संप्रदाय इसका विरोध कर रहे हैं, इसका मूल कारण संविधान निर्माण के समय हिंदू सिविल कोड में तो कई प्रावधान एवं बदलाव किए गए, परंतु अन्य पर्सनल लॉ बोर्ड में आवश्यक सुधार नहीं हो सके और अंग्रेजों द्वारा दिए गए पर्सनल लॉ के कानून वर्तमान समय तक लागू है। वर्तमान परिपेक्ष्य में यदि देखा जाए तो हिंदू सिविल कोड में बहुत कम बदलाव होंगे जबकि अन्य पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधारों की संख्या अधिक हो सकती है। जब–जब बदलाव होते हैं तब तब विरोध भी होते हैं परंतु बदलाव से यदि उन्नति होती है तो परिवर्तन उचित होते हैं। इस कानून के आने से महिलाओं, वंचितों एवं शोषितों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में बढ़ोतरी होगी और हमारे विकसित समाज की संकल्पना वास्तविक रूप में सिद्ध हो सकेगी। जिस तरह भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी सब पर समान रूप से लागू है, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, जो सबके लिए हो–चाहे वो हिन्दू हों या मुसलमान हों, या फिर किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हों। समान नागरिक संहिता के सभी कानून उन्नत दृष्टिकोण से बनाया जाये, ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए क्योंकि जब किसी विधि का आधार सामाजिक ना होकर राजनीतिक होता है तो लक्षित उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसके लिए सरकार को विशेषज्ञों के साथ आम नागरिकों से सुझाव लेने चाहिए और समाज के लोगों को भड़काने वाले लोगों पर कार्यवाही भी करनी चाहिए। जिससे कि कानून बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू हो पाए।

निष्कर्ष एवं सुझावः भारत में विभिन्न धर्मों के अपने अलग–अलग सिविल कानून हैं जो उस धर्म के नागरिकों के पारिवारिकध्व्यक्तिगत मामलों संबंधी निर्णय का आधार हैं। जिसके कारण इनके नागरिकों को मिली वाले न्याय भी होते हैं, जो किसी भी विकसित राष्ट्र की संकल्पना को धूमिल करता है। वर्तमान सरकार ने यूसीसी पर कानून बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। आशा है कि जल्द ही देश में समान नागरिक संहिता एवं एक राष्ट्र एक कानून की संकल्पना साकार होगी। मेरा सुझाव यह है कि समान नागरिक संहिता के मूल उद्देश्य को पूरा करने हेतु सरकार सभी धर्मों की उन्नत परंपराओं एवं विशेषताओं को सम्मिलित कर एक भारतीय नागरिक संहिता का निर्माण कर सकती है–

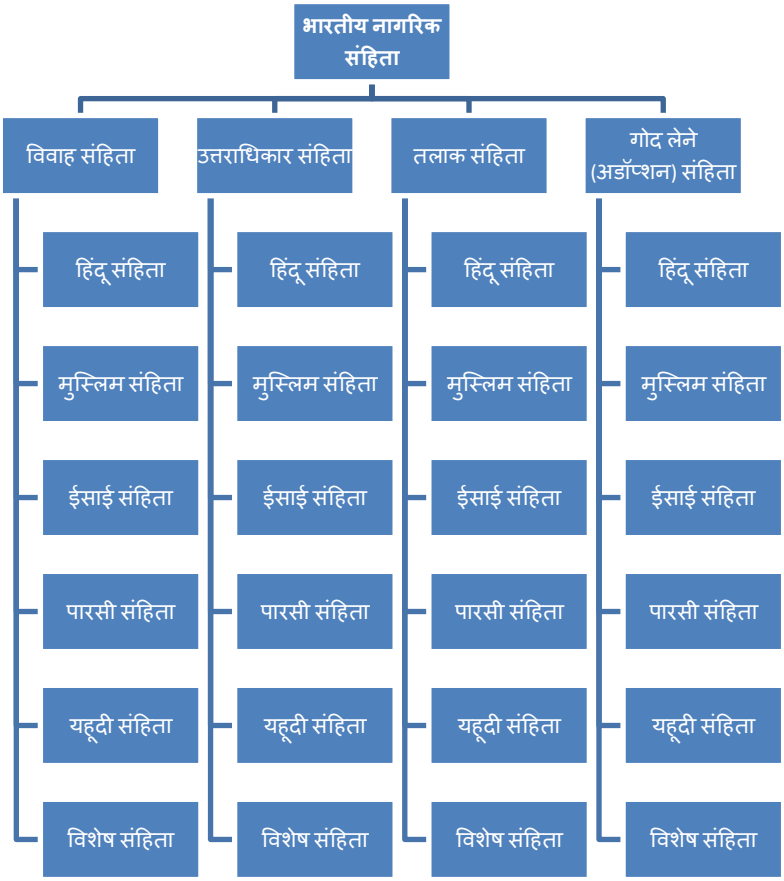

नोटः विशेष संहिता में (आदिवासी, ट्रांसजेंडर एवं अन्य सम्बन्धी) संवैधानिक प्रावधान किए जाएं। उपर्युक्त कानून मानवाधिकार एवं प्रगतिशील मूल्यों पर आधारित हों। इन कानूनों की प्रकृति लगभग समान हों साथ ही उनके अभ्यास (प्रैक्टिस) धार्मिक मूल्यों से जुड़े जिससे कि वे अपने धार्मिक संस्कृति से जुड़े रहते हुए संवैधानिक कानून का अनुपालन कर सकें।

संदर्भ सूचीः

- Pandey, Anurag (2022) "भारत में समान नागरिक संहिताः वाद–विवाद एवं परिचर्चा" (December 2022).
- https://www.researchgate.net/publication/367519907_bharata_mem_samana_nagarika_sanhitah_vada-vivada_evam_paricarca
- https://web.archive.org/web/20161017210147/http://www.pravakta.com/uniform-civil-code/
- https://web.archive.org/web/20121025071433/http://panchjanya.com/arch/2004/2/29/File30.htm
- https://www.bbc.com/hindi/india/2016/06/160620_stake_holders_code_sra
- https://www.bbc.com/hindi/articles/c0vdyplwge7o
- https://www.bbc.com/hindi/articles/cmjv6mzpzz1o
- https://www.bbc.com/hindi/articles/ceqxdvv90g2o
- https://m.timesofindia.com/india/how-muslim-fears-were-allayed-and-the-ucc-became-a-directive-principle/articleshow/60417611.cms
- https://www.jagran.com/editorial/nazariya-supreme-court-opens-eyes-of-modi-government-on-uniform-civil-code-said-move-forward-in-direction-of-one-country-one-law-19578109.html
- https://www.google.com/amp/s/www.zeebiz.com/trending/politics/news-uniform-civil-code-narendra-modi-bjp-centre-minorities-pm-modi-opposition-controversy-stst-242211/amp

♦♦♦♦♦

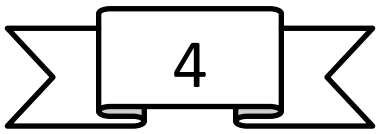

समान नागरिक संहिताः विचार व्यवहार और सरोकार

प्राची

विद्यार्थी, मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति ,लिंग, वंश, समुदाय, नस्ल इत्यादि के लोग रहते हैं जिनकी अपनी भिन्न–भिन्न मान्यताएँ, रहन–सहन, खान–पान, पहनावा, बोलियाँ और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो ऐसा कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नही होगा कि भारत में विविधता में एकता के दर्शन होते है। संविधान (सर्वोच्च कानून) की उद्देशिका मे यह वर्णित है भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र होगा अर्थात् राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मो का सम्मान किया जाएगा। साथ में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता (भाग 3 अनुच्छेद 25–28) का मौलिक अधिकार भी दिया गया है। जिसके अंतर्गत किसी भी धर्म को मनन करने, आचरण करने और प्रचार–प्रसार करने का अधिकार है।

भारत मे समाज में ही नहीं अपितु कानूनो में भी विविधता देखने को मिलती है। भिन्न–भिन्न समुदायों के लिए अलग सिविल कानून है जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह, विशेष विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, तलाक अधिनियम, दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम और अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम आदि। इसकए उपरांत भारत में सभी लोगों के लिए समान क्रिमिनल लॉ की व्यवस्था की गई है।

समान नागरिक संहिता अर्थात् Uniform Civil Code भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक संकल्पना हैं।

समान नागरिक संहिता से अभिप्राय समाजिक मामलों के ऐसे कानून से है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। UCC के अंतर्गत सभी अलग अलग समुदायो के लिए बनाए गए सिविल कानूनो को समाप्त कर दिया जाएगा ।

यह पहले एक संकल्पना मात्र थी परन्तु वर्तमान में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे वास्तविकता मे लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे यह समाज में व्यापक रूप से विवाद का विषय बन गया है ।

औपनिवेशिक युग के दौरान 1840 में एक प्रतिवेदन आया। जिसमें विभिन्न मामलो जैसे साक्ष्यों, अपराधों और अनुबंधों से संबंधित कानूनों के संहिताबद्ध करके एकता व आवश्यकता पर बल दिया गया ।

संविधान निर्माताओं जैसे डॉ. भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा समान नागरिक संहिता के महत्व को देखते हुए इस पर बल दिया। किन्तु कुछ सदस्यों की जागरूकता के अभाव और समकालीन स्थिति को देखते हुए इसे भाग 4 में ही रखा गया। भाग 4 गैर न्यायोचित प्रकृति का है और यह वाद योग्य भी नही है। यह सरकार को कार्य करने के लिए दिशा प्रदान करता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर–"मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी धर्म को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए? ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तेक्षप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमे क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्थ असमानता भेदभाव और अन्य चीजो से भरी है। यह स्वतंत्रता हमे इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहाँ वहाँ सुधार कर सके।

जिस प्रकार प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी प्रकार समान नागरिक संहिता के लागू होने के भी पक्ष व विपक्ष में विभिन्न पहलू है।

समान नागरिक संहिता के कारण विविधता में एकता के दर्शन को और अधिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। इससे सभी लोगों के लिए एक समान सामाजिक कानूनों का निर्माण होगा। जिससे समान पहचान और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। जिससे धार्मिक विषय जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिकता में कमी आएगी। जिसके कारण देश की प्रगति को ओर गति मिलेगी। UCC के कारण राजनीति मे भी वोट बैंक की राजनीति में कमी आएगी व स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ में पारिवारिक कानून मे समानता से महिलाओं की स्थिति भी सशक्त होगी ओर लैंगिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा। सभी के लिए समान कानून बनाने के कारण कानूनी प्रक्रिया में भी सरलता आएगी व कानूनी दक्षता में व सकारात्मक वृद्धि होगी। समान नागरिक संहिता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धात को अग्रसर करती है ।

समान नागरिक संहिता लागू होने के कारण यह आंशका भी है कि इससे जो लोग कम संख्या में है अर्थात् अल्पसंख्यकों के अधिकारो पर ध्यान न दिया जाए और उन्हें समाज से हाशिए पर कर

दिया जाए। क्योंकि विविधता में प्रत्येक को समायोजित करने के लिए ही व्यक्तिगत कानून या विशेष कानून बनाए जाते है। जिससे संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लघंन हो सकता है। इसके कारण कानूनी प्रणाली पर कार्यभार बढ़ सकता है। क्योकि इससे विभिन्न मुद्दे न्यायिक दायरे के अंदर आ जाएगें। इससे विविधता में एकता के सिद्धांत को भी चोट पहुँच सकती है व सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है।

समान नागरिक संहिता को लागू करना जितना सोचने मे सरल लगता है वास्तविकता में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। क्योकि इसके कारण पूर्ण सामाजिक, कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया परिवर्तित हो जाएगी। समाज में इसके प्रति अभी शिक्षा व जागरूकता का अभाव है। साथ में दृढ़ राजनीतिक शक्ति भी नही है क्योंकि इससे दलों के वोट बैंक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

विश्व के अन्य देशों जैसे अमेरिका, मलेशिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश आदि समान नागरिक संहिता को लागू करना सरल तथ्य है क्योकि वहाँ धार्मिक एकता पाई जाती है। जिसके कारण कोई विवाद नहीं होता किंतु भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा कदम उठाना सरल नहीं है। हम इसे केवल धार्मिक या संवैधानिक व सांस्कृतिक नैतिकता पर नहीं देख सकते। हमें इस स्थिति को जागरूकता, शिक्षा व विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से संतुलन की ओर ले जाना होगा। यदि इसे कानूनी मान्यता दे दी जाती है तो समाज का वृहत् वर्ग नाखुश होगा। जिससे सामाजिक स्थिति असंतुलित हो जाएगी। व समाज मे घर्षण की स्थिति उत्पन्न होगी। एक लोकतांत्रिक राज्य संवाद से काम ले सकता है ना कि नागरिकों के मध्य तनाव से। न्यायपालिका और कार्यपालिका को समाज मे लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखत हुए सामंजस्य से निर्णय करना होगा जिससे सभी नागरिको के संवैधानिक अधिकारो की पूर्ति हो और किसी का अहित न हो।

"हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी की त्रिवेणी है जो भारत को बहुत आगे ले जाएगी"।–– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी

♦♦♦♦♦

5

समान नागरिक संहिता और भारतीय मीडिया

शानु झा

शोधार्थी, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

भारत में सभी समुदाय के लिए आपराधिक मामलों में एक कानून का पालन किया जाता है किंतु सिविल मामलों में हर धर्म के लिए भिन्न–भिन्न कानून हैं। 14 जून 2023 को भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में लोगों व मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों एवं सुझावों को जानने का पुनरू निर्णय लिया। उसके पश्चात से भारतीय मीडिया में इस विषय पर अत्यधिक विचार–विमर्श सुनने को मिल रहा है। जब 27 जून को, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने समान नागरिक संहिता के बारे में विचार–विमर्श को सुर्खियों में ला दिया, जिससे इसके संभावित कार्यान्वयन पर देशव्यापी वाद–विवाद आरंभ हो गया। इसके पश्चात 8 जुलाई को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि प्रारूप समिति के प्रतिवेदन आने के पश्चात समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाएगा। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भी 4 जुलाई 2023 को कहा कि समान नागरिक संहिता भारत और उसके राष्ट्रवाद को अधिक प्रभावी ढंग से बांध देगी और बल देकर कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने में किसी प्रकार की और देरी हमारे मूल्यों के लिए हानिकारक होगी। जैसा कि हम जानते हैं। मीडिया सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करती है। विधि आयोग के प्रस्ताव पर 14 जून से 28 जुलाई 2023 के मध्य 75 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली। आयोग ने कहा है कि वह सभी हितधारकों मध्य पैनल विचार–विमर्श व वाद–विवाद को आयोजित करेगा।

सिविल मामलों में सुनवाई के लिए कानूनों का संग्रहण जो भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू हो उसे समान नागरिक संहिता कहेंगे। विवाह, विवाह–विच्छेद, दत्तक ग्रहण करना, भूमि के बंटवारे इत्यादि सिविल मुद्दों से संबंधित हैं। इसके अनुसार देश में रहने वाले सभी धर्म व जाति के लोगों के लिए एक प्रकार का कानून होगा। भारतीय संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 44 के अनुसार "राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा"। यह संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से

एक है। इसका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करना है। समान नागरिक संहिता आने से भारत में भेदभाव को कम किया जा सकता है।

दैनिक भास्कर में छपे खबर के अनुसार, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 12 जून 2023 को कहा "समान नागरिक संहिता से किसी को संकट नहीं है। हम सभी को समान नागरिक संहिता का समर्थन करना चाहिए"। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता के विषय पर देश भर में विचार–विमर्श हो रहा है। इस पर गहन मंथन होना चाहिए। इसके बारे में व्यापक समझ व जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति–परंपरा हजारों वर्ष प्राचीन है। पहले भी सभी लोग मिल–जुल कर रहते थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए अंग्रेजों ने पर्सनल लॉ लागू किया। अन्य समाज के लिए हिंदू कोड बिल बन गया। इस वर्ष हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। राज्यपाल ने बताया कि तीन तलाक कानून लागू होने से किसी के धार्मिक अधिकार प्रभावित नहीं हुए। तलाक की दर में लगभग 95 प्रतिशत की गिरावट आई। इससे अनगिनत महिलाओं एवं परिवारों के जीवन में सुधार हुआ।

बीबीसी समाचार ने बताया कि समान नागरिक संहिता को प्रथक लागू किया गया तो इससे हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कहा कि हिन्दू मैरिज अधिनियम के अंतर्गत विवाह–विच्छेद तभी हो सकता है जब विवाह में कोई कठिनाई हो। बिना कठिनाई वाले विवाह से बाहर निकालने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। दक्षिण भारत में नियम है कि हिंदुओं में भी संबंधों के विवाह होते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या अधिक है। उनकी परम्पराएं, रिवाज, मान्यताएं, विवाह से जुड़े नियम, उत्तराधिकार चुनने का नियम भिन्न है। वहाँ खासी समुदाय मातृसत्तात्मक नियम को मानता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है। और बच्चों के नाम के साथ मां का उपनाम लगते हैं। इस समुदाय को संविधान की छठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो समान नागरिक संहिता के आने से इन सब नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

द हिन्दू में प्रकाशित एक लेख के अनुसार संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य एक समान संहिता प्राप्त करने का केवल ष्प्रयासष कर सकता है, न कि इसे लागू कर सकता है। समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन संविधान द्वारा प्रत्याभूतीकृत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 25 (किसी के धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 29 (एक विशिष्ट संस्कृति रखने का अधिकार) शामिल हैं। यह नागालैंड

और मिजोरम जैसे राज्यों को दिए गए प्रावधानों का भी खंडन करता है। समान नागरिक संहिता पर भाजपा का जोर संघ परिवार की मंशा पर कई सवाल खड़े करता है। यदि लक्ष्य दीर्घकालिक रीति–रिवाजों के पालन को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, तो क्या कोइ समुदाय अपनी परंपराओं पर रियायतें देने को तैयार होगा? यदि उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करना है, तो उन व्यक्तिगत कानूनों में सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है जिनकी गलत व्याख्या की जा रही है?

अमर उजाला में प्रकाशित एक लेख के अनुसार संविधान ने सात सौ से अधिक जनजातियों और उनकी सैकड़ों उपजातियों को भी उनके रीति रिवाजों और परम्परागत जीवन शैली की प्रत्याभूति भी दे रखी है। इसी प्रत्याभूति के चलते अनुसूची–6 के पूर्वोत्तर राज्यों में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लागू नहीं हो सका। मोदी सरकार ने दृढ़ता का परिचय देते हुए अनुच्छेद 370 की धारा 35ए तो हटा दिया। किंतु अनुच्छेद 371 की ए से लेकर एच तक की धाराएं अब भी ऐसी ही बनी हुई है। धारा 370 हटाने के पीछे भी एक देश एक कानून का विचार था। तथा अब समान नागरिक संहिता के पीछे भी वही विचार है। बहुत संभव है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की तरह पूर्वोत्तर राज्यों को समान नागरिक संहिता में भी छूट दे दी जाए, किंतु प्रश्न केवल पूर्वोत्तर का नहीं है।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की कुल जनसंख्या लगभग 4. 57 करोड़ दर्ज हुई थी। जबकि जनजातीय समाज जम्मू–कश्मीर से लेकर अण्डमान निकोबार और पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक विस्तृत हुआ है। सन 2011 की जनगणना में आदिवासी जनसंख्या 10.42 करोड़ थी जो कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। इनमें ओंगे, सेंटिनली, राजी और जरावा जैसी 18 ऐसी आदिम जातियां भी हैं जिनका अस्तित्व तो संकट में है ही किंतु उन तक शासन प्रशासन की भी पूर्ण रूप से पहुंच नहीं है। देश में सर्वाधिक 14.7 प्रतिशत जनजातीय जंसख्या मध्य प्रदेश में है।

2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 86.46 प्रतिशत मेघालय में 86.15, मीजोरम 94.4, मणिपुर 40.9, अरुणाचल में 68.8 और छत्तीसगढ़ में 30.6 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है। संथाल भारत के सबसे व्यापक जनजातीय समूहों में से एक है जो मुख्यतः असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत हुए हैं। इसी प्रकार भील भी सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं जो कि छत्तीसगढ़, गुजरात कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और

राजस्थान में निवास करते हैं। अगर देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को समान नागरिक संहिता से प्रथक कर दिया जाता है तो संहिता में समानता कहां रह जाती है।

जनसत्ता में प्रकाशित समाचार के अनुसार समान नागरिक संहिता का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड, आदि सम्मिलित हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए प्रथक कानून नहीं हैं। भारत में अभी विवाह, विवाह–विच्छेद, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण करने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर भिन्न–भिन्न कानून हैं। समान नागरिक सहिता आने के पश्चात भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की चिंता किए बगैर सभी पर एक कानून लागू होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता न केवल मुस्लिमों को प्रभावित करेगा, अपितु हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और आदिवासी वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे। आप कौन–सा सिद्धांत लागू करेंगे–हिंदू, मुसलिम या फिर ईसाई? समान नागरिक संहिता को कुछ आधारिक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जैसे कि विवाह और विवाह–विच्छेद का क्या मानदंड होगा? दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे? विवाह–विच्छेद के विषय में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा? और अंत में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे?

नई दुनिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सबसे अधिक लाभ महिलाओं को होगा। महिलाओं को समान अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा और विवाह, विवाह–विच्छेद, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित विषयों में समान अधिकार प्राप्त होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था रहेगी। यह कानून में भेदभाव या असंगति के जोखिम को कम करेगी।

समान नागरिक संहिता से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण केस

शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के लिये इद्दत अवधि की समाप्ति के पश्चात भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण–पोषण का दावा करने के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करने में सहायता करेगी।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहले विवाह को समाप्त किये बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता। इस विषय में भी कहा गया कि UCC इस प्रकार के धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण और द्विविवाह की घटनाओं पर रोक लगाएगी।

शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा एवं समानता का उल्लंघन करार दिया। इसने यह अनुशंसा भी की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिये एक कानून का निर्माण करना चाहिये।

समान नागरिक संहिता को कैसे लागू किया जाएगा और इससे उत्पन्न होने वाले परिणाम को लेकर विचार–विमर्श अभी भी चल रहा है। भारतीय मीडिया में इस विषय को लेकर तत्परता दिखती अवश्य है किंतु हाँ इस बात को भी अस्वीकृत नहीं जा सकता है जनमानस में जो भय है उसको समाप्त करने के लिए मीडिया को धैर्यपूर्वक और गहराई से काम करना होगा। कई लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता विविध धार्मिक समुदायों के मध्य एकता की भावना को बढ़ावा देकर और देश के धर्मनिरपेक्ष स्थित को सुदृढ़ करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी। जबकि अन्य लोगों का कहना है कि भारत में धार्मिक मान्यताओं और रीति–रिवाजों की विविधता को देखते हुए समान नागरिक संहिता का विषय अत्यधिक जटिल और संवेदनशील है। समान नागरिक संहिता को संहिताबद्ध करते समय सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा। यदि समान नागरिक संहिता के प्रावधान इतने संतुलित हों कि इससे सभी समुदाय के हित की सुरक्षा बनी रहे तो हाँ लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए समझाया जा सकता है। अन्यथा यह तो अधिनियम के प्रकरण के खुलासे पर ही ज्ञात हो पायेगा कि किस प्रकार से भारतीय विविधता को संरक्षित करते हुए समानता स्थापित की जा सकेगी। एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वित होना एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो भारतीय समाज को एकीकृत करके उसकी प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। समान नागरिक संहिता को लागू करवाने में भो प्रिन्ट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनी जिम्मेदारी भली–भांति निभानी होगी।

संदर्भ सूचीः

- https://www.bbc.com/hindi/articles/c0vdyplwge7o
- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/just-uniform-civil-code
- https://www.bhaskarhindi.com/city/mumbai/state-got-1133-crores-from-the-center-for-the-sagarmala-project-955180?infinitescroll=1
- https://www.amarujala.com/columns/blog/uniform-civil-code-on-tribes-know-how-ucc-might-impact-personal-laws-of-religions-in-india-2023-07-14?pageId=1
- https://www.jansatta.com/national/uniform-civil-code-what-are-advantages-how-many-disadvantages-every-citizen-living-in-india-irrespective-of-religion-or-caste-all-religions-same-law-apply/2896380/
- https://www.naidunia.com/national-common-civil-code-if-the-uniform-civil-code-is-implemented-many-changes-will-come-in-life-know-what-will-be-the-effect-on-you-8183627

♦♦♦♦♦

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007